

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया  
आपूर्ति प्रशाखा  
—:सूचना:—

संख्या ...../आ0

दिनांक .....

अररिया अनुमंडल अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के रिक्त पदों पर बहाली हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 565/2015 के विरुद्ध प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी आवेदन पत्रों के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि संलग्न नहीं रहने के कारण कोटिवार मेधा सूची तैयार करने में कठिनाई हो रही है।

अतः सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों को कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में सभी सूचनाएँ भरेंगे एवं सभी प्रमाण-पत्रों का स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ जमा करेंगे। पंचायतवार निर्धारित तिथि अलग से संलग्न किया जाता है।

1. काउन्सिलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र सत्यापन के उपरांत मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जाएगा।
2. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
3. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्रों पर जिला चयन समिति का निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।
4. सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जाता है तो संबंधित आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

50

अनुमंडल पदाधिकारी,  
अररिया


ज्ञापांक 104...../आ0      दिनांक 15/02/2016

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सूचना को प्रखण्ड/नगर परिषद, कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाय।

प्रतिलिपि :- डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सूचना को जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय।

  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
अररिया

**जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के रिक्त पदों पर बहाली हेतु  
प्रखण्डवार/पंचायतवार काउन्सिलिंग की तिथि**

अनुमंडल अररिया		जिला अररिया	
क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	तिथि
1	कुर्साकांटा	लैलोखर पंचायत	22/02/2016
2		कुआड़ी पंचायत	
3		डुमरिया पंचायत	
4		पहुँसी पंचायत	
5		कमलदाहा पंचायत	
6		सौरगांव पंचायत	
7	सिकटी	मजरख पंचायत	22/02/2016
8		मुरारीपुर पंचायत	
9		बोकन्तरी पंचायत	
10		पड़रिया पंचायत	
11		कुचहा पंचायत	
12	पलासी	धर्मगंज पंचायत	22/02/2016
13		बलुआ कलियागंज पंचायत	
14		भीखा पंचायत	
15		सोहन्दर पंचायत	
16	जोकीहाट	तारण पंचायत	23/02/2016
17		काकन पंचायत	
18		बगडहरा पंचायत	
19		गिरदा पंचायत	
20	जोकीहाट	मटियारी पंचायत	23/02/2016
21		बागनगर पंचायत	
22		चिल्हनियों पंचायत	
23		पछियारी पिपरा पंचायत	
24	अररिया	अररिया शहर वार्ड संख्या 05	23/02/2016
25		अररिया शहर वार्ड संख्या 06	
26		अररिया शहर वार्ड संख्या 7	
27		अररिया शहर वार्ड संख्या 8	
28	अररिया	अररिया शहर वार्ड संख्या 9	23/02/2016
29		अररिया शहर वार्ड संख्या 11	
30		अररिया शहर वार्ड संख्या 17	
31		अररिया शहर वार्ड संख्या 22	
32	अररिया	तरौना भोजपुर पंचायत	24/02/2016
33		बांसबाड़ी पंचायत	
34		रामपुर मोहनपुर पश्चिम पंचायत	
35		मदनपुर पश्चिम पंचायत	
36		हयातपुर पंचायत	

37	अररिया	बनगामा पंचायत	24/02/2016
38		चिकनी पंचायत	
39		पैकटोला पंचायत	
40		कुसियारगांव पंचायत	
41		चातर पंचायत	
42		गैड़ा पंचायत	
43	रानीगंज	बिस्टोरिया पंचायत	25/02/2016
44		विशनपुर पंचायत	
45		हसनपुर पंचायत	
46		पचीरा पंचायत	
47	रानीगंज	परमानंदपुर पंचायत	25/02/2016
48		परिहारी पंचायत	
49		पहुसरा पंचायत	
50		मझुआ पूरब पंचायत	
51	रानीगंज	कालाबलुआ पंचायत	25/02/2016
52		कोशकापुर दक्षिण पंचायत	
53		खरहट पंचायत	
54		गुणवंती पंचायत	
55		मिर्जापुर पंचायत	
56	रानीगंज	मोहनी पंचायत	25/02/2016
57		बसैटी पंचायत	
58		घघरी पंचायत	
59		घोबिनियो पंचायत	

अनुमंडल पदाधिकारी  
अररिया

15-2-2016

अररिया अनुमंडल अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्त पदों पर बहाली के लिए काउन्सिलिंग का प्रपत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. स्थायी पता

ग्राम

पंचायत

थाना

प्रखण्ड

अनुमंडल

जिला

4. जिस पंचायत के लिए आवेदन दिया गया है उनका नाम --

प्रखण्ड

5. यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण कोटि अंकित करें :-

6. शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाण प्रति संलग्न करें)---

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत अंक

संलग्न किए जा रहे प्रमाण पत्रों के छायाप्रति की सूची सभी प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए

1.

2.

3.

4.

5.

प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ सही हैं। सत्यापन के क्रम में गलत पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए मेरे उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी ।

पूर्ण हस्ताक्षर एवं तिथि